

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 13/12/19

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री शैलेश शर्मा, अभिभाषक (पंजीयन क्रमांक आर/1557/2009) को एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि 25,200/- प्रतिमाह पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे।
4. यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार ही शासित होगी।
5. वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
6. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को अन्य एलाउन्स/चार्जज/सुविधाएँ वही देय होगी, जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

ह०

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(18) राज/वाद/13,पार्ट

जयपुर दिनांक 13/12/19

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री दर्श पारीक, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/1317/2015) को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.9(1)राज/वाद/88 पार्ट दिनांक 13.08.19 के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जयपुर हेतु नव सृजित असिस्टेन्ट गवर्नमेंट कौंसिल के पद पर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि 18,000/- प्रतिमाह (निश्चित) पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, **जयपुर** के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे।
4. यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार ही शासित होगी।
5. वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

आज्ञा से,

ह०

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/ वाद/ 08,पार्ट

जयपुर दिनांक 13/12/19

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री शैलेश शर्मा, अभिभाषक (पंजीयन क्रमांक आर/ 1557/ 2009) को एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि 25,200/- प्रतिमाह पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे।
4. यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार ही शासित होगी।
5. वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/ याचिकाएं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
6. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को अन्य एलाउन्स/ चार्जेज/ सुविधाएं वही देय होगी, जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को दी जा रही हैं।

आज्ञा से,

ह0

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(18) राज/ वाद/ 13,पार्ट

जयपुर दिनांक 13/12/19

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री दर्श पारीक, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/ 1317/ 2015) को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.9(1)राज/वाद/88 पार्ट दिनांक 13.08.19 के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जयपुर हेतु नव सृजित असिस्टेन्ट गवर्नमेंट कौंसिल के पद पर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि 18,000/- प्रतिमाह (निश्चित) पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता, **जयपुर** के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे।
4. यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार ही शासित होगी।
5. वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/ याचिकाएं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

आज्ञा से,

ह0

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि